सुमन V/S उत्तमचन्द वगै.
दावा सं. 174/10

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1-6-14	पत्रावली प्रस्तुत हुई. उभय पक्ष के अभिभाषक उपस्थित। वादी की ओर से कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं करना चाहते हैं। उभय पक्ष के अभिभाषकों एवं पक्षकारान ने तीनों वादियों का पक्षकार मुकदमा बनाकर दावे में फाईनल बहस सुनने हेतु निवेदन किया है। पत्रावली का अवलोकन करने पर जाहिर हुआ कि वादी० ने मृतक रमा बेवा परसादी के हिस्से पर वादी० एवं प्रति० 2 व 3 को खातेदार घोषित करने बाबत अनुतोष चाहा है। प्रति० ने अपने जवाब दावा में आपत्ति उठाई है कि मृतक रमा की तीन पुत्रियां प्रेम, विद्या, विजय को पक्षकार नहीं बनाया है. वादी एवं प्रति० के अलावा मृतक रमा की वे भी वारिसान हैं. इस तथ्य को दोनों पक्षों ने स्वीकार किया है। अतः आदेश 1 नियम 10(2) जा.दी० के प्रावधानान्तर्गत मृतक रमा की पुत्रियों प्रेम, विद्या, विजय पुत्रीयान परसादी जाति जाटव नि० कस्बा नगर को बतौर प्रतिवादी 5, 6, 7 पक्षकार संयोजित किया जाता है। इनका नाम लाल स्याही से अंकित किया जावे। वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88-89 व 188 R.T.Act इस आशय का प्रस्तुत किया है कि कि० आ० सं नं $\frac{1522}{0.44}$, $\frac{1516}{0.04}$, $\frac{1517}{0.68}$ वाके कस्बा नगर में वादी० की सास व दादी तथा प्रति० की माता की 1/6 हि० की खातेदारी भूमि है, माता रमा बेवा परसादी की मृत्यु हो चुकी है, तथा वादी एवं प्रतिवादी० उसके विधिक वारिसान हैं जो उसके हिस्से पर अपने को खातेदार घोषित [illegible] अंत में निवेदन किया है कि [illegible] 1/6 में 1/3 हि० का खातेदार [illegible] को जारी स्थाई नि[illegible] जावे। प्रति० नं. 1 व 2 ने जवाब [illegible] प्रस्तुत कर वादी के दावे को आंशिक रूप से अस्वीकार करते हुए माता रमा बेवा परसादी के सभी पुत्र पुत्रियों को उसके हिस्से पर व हि० बराबर खातेदार घोषित किया जावे।	

Sd/-
उपखण्ड अधिकारी
नगर (भरतपुर) राज०

— लगातार.

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.05 10:56:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में जारी
	हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस सुनी तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। नकल जमाबंदी सं० 2063-66 वाके कस्बा नगर के खाता सं० 740 पर आ० ख० नं० 1522/0.44 में मु० रामा बेवा परसादी अन्य हिस्सेदारान के साथ 1/8 हिस्सा पर खातेदार दर्ज है, इसी प्रकार ख० नं० 1516/0.04, 1517/0.68 पर रामा बेवा परसादी का हिस्सा बतौर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। दोनों पक्षों ने माता रामा बेवा परसादी की मृत्यु होना स्वीकार किया है, तथा वादी० एवं प्रति० सं० 1, 2, 5, 6, 7 को उसके विधिक वारिस होना स्वीकार किया है तथा सभी को मृतक रामा की खातेदारी भूमि में बराबर हिस्सा है। अतः आदेश है कि —	
	दावा वादीगण डिक्री किया जाता है। आ० ख० नं० 1522/0.44, 1516/0.04, 1517/0.68 वाके कस्बा नगर तह० नगर में रामा बेवा परसादी के स्थान पर वादीगण को हि० 1/6, बहि० बराबर, प्रति० सं० 1, 2, 5, 6, 7 को बहि० बराबर हि० 5/6 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे। प्रति० को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें। इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो।	
	(हरिराम [illegible]) उपखण्ड अधिकारी नगर (भरतपुर) राज०	
	Signature Not Verified Digitally signed by Surendra Prasad Date: 2023.09.05 10:56:46 IST Reason: SelfAttested	
	निर्णय [illegible] जाकर खुले न्यायालय में [illegible] की लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	
	उपखण्ड अधिकारी नगर	

Scanned with CamScanner